

प्रेषक,

भूपेन्द्र बहादुर सिंह,  
अनुसचिव  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/  
नोडल अधिकारी  
उ०प्र०, लखनऊ।

वन अनुभाग-2

लखनऊ, दिनांक 02 फरवरी  
जनवरी, 2016


विषय:- एटा में टूण्डला-एटा मार्ग एस०एच०-31 के किमी० 26.088 की बायीं पटरी पर ग्राम बाबरपुर के खसरा संख्या-988 में विकसित किये जा रहे एस्सार ऑयल लि० के रिटेल आउटलेट के सम्पर्क निर्माण हेतु 0.092976 हे० संरक्षित वनभूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बंध में।

गहोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया शासन के पत्र संख्या-पी-77/14-2-2015-800 (130)/2015, दिनांक 03-12-2015 तत्कम में अपने कार्यालय पत्र संख्या-1466/ एटा-13615/ यूपी-099/2015, दिनांक 14-01-2016 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से कतिपय सूचनायें शासन को उपलब्ध करायी गयी हैं।

2- इस सम्बंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विषयगत प्रकरण में शासन के उक्त पत्र दिनांक 03-12-2015 के माध्यम से, बफर जोन से कितनी दूरी पर कोई निर्माण किया जा सकता है, के बिन्दु पर स्थिति स्पष्ट नहीं की गयी है। कृपया इस बिन्दु पर स्थिति स्पष्ट करते हुए संस्तुति सहित अपनी आख्या शासन को अतिशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

  
( भूपेन्द्र बहादुर सिंह )  
अनुसचिव